वर्ष 1 अंक 9 सितंबर 1979 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

जनता को फैसला करना होगा

राष्ट्रपति ने लोक सभा भंग कर दी है और जनता को नये नुमाइंदे चुनने का आह्वान किया है. भारत की असली मालिक— जनता को संसदीय संकट सुलझाने और राजनीतिक दलों और घटनाक्रम की भूमिका को साक्षी रख कर निर्णायक फैसला देने का आह्वान किया गया है. जुझारू जनता के सबसे जागरूक हिस्से — संगठित मजदूर वर्ग को आगामी चुनावी युद्ध में हिस्सा लेकर जनता और जनवाद के हित में फैसला लेने में देश की मदद करने के लिए अपनी भूमिका अदा करनी होगी.

लोकसभा को भंग क्यों किया गया ?

क्योंकि कोई भी पूंजीपति-जमींदार पार्टी मंत्रालय चलाने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं जुटा सकी थी. जनता पार्टी ने 1977 के चुनावों में, दो-तिहाई के करीब, 302 सीटें प्राप्त की

बी. टी. रणदिवे

थीं और फिर भी वह बहुमत खो बैठी, वह बिखर गई और उसकी सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया गया. इस बिखराव में हिंदू सांप्रदायिक ताकतों के हावीपन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी.

गरिमा कम हुई

जनता पार्टी में विभाजन से सरकार बनाने के लिए विभिन्न पार्टियों, जैसे जनता (एस), कांग्रेस आदि का गठजोड़ सामने आया. किंतु यहां एक खतरनाक स्थिति पैदा हो गई. **आम जनता में जनता पार्टी की गरिमा को खत्म करने में जो गहरी ताकतें काम कर रही थी उन्हें भूल कर किसी भी तरह सत्ता हथियाने की समझ के साथ, इस गठजोड़ के नेताओं ने अपने मंत्रालय के पीछे बहुमत सिद्ध करने के लिए तानाशाह इंदिरा गांधी की मदद मांगी.** अधिनायकवादी संगठनों से मदद मांगने की इस अपील ने इस गठजोड़ की प्रतिष्ठा को और भी कम कर दिया. और केबिनेट में कांग्रेस मंत्रियों के नामों की घोषणा के बाद तो यह और भी धूमिल हो गई. यह उन्हीं मंत्रियों का दल था जिसने बिना किसी विरोध के इमरजेंसी शासन बनाया था. उनमें से कुछेक इंदिरा का विश्वास खो बैठे थे क्योंकि उन्होंने शाह कमीशन के आगे उसके विरुद्ध गवाहियां दी थी. परंतु जनता में उनकी साख उतनी ही कम थी जितनी संभव हो सकती थी और उनकी नियुक्ति से खुद उनकी पार्टी में ही जबरदस्त विरोध हुआ. जन सम्मान को खोने और उसके ऊपर इंदिरा गांधी के समर्थन ने एक खतरनाक स्थिति पैदा कर दी. सवाल यह था कि क्या इंदिरा गांधी कुछ सत्ता के भूखे नेताओं का इस्तेमाल करके सांप्रदायिक प्रतिक्रिया के खिलाफ विरोध का रुख तानाशाही के समर्थन में बदल सकती है ? अगर ऐसा हो जाता तो जनता के साथ फिर धोखा होता.

पाठकों को बधाई

सीटू के अंग्रेजी मासिक 'दि वर्किंग क्लास' के सितंबर अंक से प्रकाशन नवें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर हम अपने पाठकों को हार्दिक बधाई देते हैं.

नया गठजोड़ अधिनायकवादी ताकतों से मुक्त

परंतु मंत्रीमंडल बनने के बाद की घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी अवसरवादी नेता या नेताओं द्वारा तानाशाही ताकतों से प्रतिक्रियावादी समझौते करना आसान बात नहीं है. इसके नतीजतन वक्तव्य और प्रति-वक्तव्यों का एक सिलसिला शुरू हो गया. गठजोड़ के अंदर प्रतिरोधी ताकतें इंदिरा गांधी द्वारा ब्लेकमेल करने के खिलाफ, जिसके समर्थक स्पेशल कोर्ट विधान को वापस लेने की जोरों से मांग कर रहे थे, सक्रिय थीं.

पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों की 14 सितंबर को अखिल भारतीय हड़ताल

इन ताकतों को वामपंथी ताकतों के समर्थन द्वारा बल मिला और खास कर सी. पी. आई. (एम.) की केंद्रीय कमेटी द्वारा विश्वास मत का समर्थन देने के निर्णय ने उन्हें काफी प्रोत्साहन दिया. इंदिरा ने यह जान लिया कि उसकी ब्लेकमेल की नीति सफल नहीं होगी, चरण मंत्रीमंडल के साथ वह अपनी मनमानी कर उसे वह अपने इशारों पर नहीं चला सकती. उसने विश्वास-मत के खिलाफ मत देकर चरण मंत्रालय को उखाड़ फेंकने का निर्णय ले लिया. चरण सिंह मंत्रालय की तानाशाही ताकतों से सांठगांठ खत्म कर दी गई और नया गठजोड़ इंदिरा गांधी की ब्लेकमेल करने की ताकत के शिकंजे से मुक्त हो गया.

जनसेवा का आश्वासन दो

चरण मंत्रीमंडल इंदिरा कांग्रेस के शिकंजे से बचा लिया गया और कांग्रेस-जनता (एस.) गठजोड़ के सामने, अगर वे चाहें तो, अधिनायकवादी और सांप्रदायिक ताकतों पर हमला केंद्रित कर जनवाद की मदद करने के लिए रास्ता खुला है. परंतु इस गठ-जोड़ को अन्य बातों के बारे में भी सुधार करना होगा. इसको पीड़ित जनता के सामने अपनी सही साख पेश करनी होगी और उन्हें यह आश्वासन देना होगा कि वह उनके हित में कार्य करेगी और निहित स्वार्थों के खिलाफ संघर्ष करेगी. दुर्भाग्य से अपने मंत्रीमंडल के 15 दिन के अस्तित्व में यह आम जनता को पुनः आश्वासन देने में नाकामयाब रही है.

आर्थिक नीति : बेमिसाल दिवालियापन

इसने दो कुख्यात अध्यादेशों को वापस लेने और जनवाद के प्रति अपने विश्वास के बारे में जनता को आश्वासन देने से इंकार कर दिया. इसने अध्यादेशों को केवल बीत जाने दिया. इसने निवारक नजरबंदी कानून को पुनः लागू न करने का आश्वासन देने से इंकार कर दिया. निस्संदेह श्रीमान चव्हाण ने गिरफ्तार हुए पुलिसकर्मियों की रिहाई और निलंबन आदेशों को वापस लेने का आश्वासन दिया है. इन मुद्दों पर कुछ कार्यवाही भी की गई है. केवल यह ही एक अच्छा लक्षण है. सी. डी. एस. अध्या-देश खत्म हो चुका है परंतु सरकार ने कुछ केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की यूनियनों को जमा की हुई सी. डी. एस. राशि प्रोविडेंट फंड में जमा करने के लिए दबाव डाला है. रेलवे कर्म-चारियों को बोनस देने से इंकार किया जा रहा है हालांकि रेलवे द्वारा अर्जित पर्याप्त धन से इस मांग को पूरा किया जा सकता है. **सरकार का आर्थिक नीति संबंधी बयान खोखला और मूर्खता-पूर्ण बेमिसाल दस्तावेज है. जनता (एस)-कांग्रेस गठजोड़ को यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि छल कपट भरे बेजान वादों से आम जनता को बेवकूफ बनाना संभव नहीं है.** अगर वे आम जनता की न्यूनतम मांगों को स्पष्ट रूप से सामने नहीं रख देते हैं और उन्हें पूरा करने का वायदा नहीं करते हैं तो उनके इस चुनावी युद्ध में जीतने के कोई आसार नहीं होंगे. अगर उनके निर्वाह की हालत को सुधारने तथा न्यूनतम मांगों को पूरा करने की गारंटी नहीं दी जाती तो उनका सांप्रदायिकता और तानाशाही से लड़ने का दावा मात्र ढकोसला और धोखाधड़ी समझा जाएगा.

संसदीय घटनाक्रम ने पूंजीवादी दलों की बहुमत में रहने तथा अपनी एकता बनाए रखने की अक्षमता को जाहिर कर दिया है. इसने उनके बीच में सत्ता के लिए तीव्र अंतर्द्वन्द्व को दर्शाया है जो उन्हें गैरसैद्धांतिक गठजोड़ बनाने की तरफ ले जाता है जो सभी को बदनाम करता है. इसने संसद में वामपंथी ताकतों की कमजोरी को और भी उजागर कर दिया है. इसने पूंजीवादी पार्टियों के मतभेदों तथा कमजोरियों को वामपंथी ताकतों द्वारा जनता के हित में इस्तेमाल करने से, किसानों तथा मजदूरों के लिए एक के बाद एक रियायतें छीनने से, और जन-वादी अधिकारों की सुरक्षा तथा उन्हें आगे बढ़ाने से वंचित किया है. वामपंथी और जनवादी ताकतों के विभाजित होने के साथ-साथ सोशलिस्टों का एक हिस्सा अभी भी जनता पार्टी के साथ बरकरार है. इसलिए पहलकदमी अभी भी पूंजीपति-जमींदार की पार्टियों के हाथों में है और सिर्फ कभी-कभी ही यह उनके हाथों से बाहर आ पाती है.

मजदूर वर्ग के कर्तव्य

अगर चुनावों के बाद भी ताकतों का पारस्परिक संबंध यही रहा जो आज है तो यह लड़ाई हारी जा चुकी है. यह इन पार्टियों के बीच फिर उसी घुड़दौड़ को शुरू कर देगा और तानाशाही व अधिनायकवादी झुकावों को मजबूत करेगा. जनता के लिए और मजदूर वर्ग के लिए इस चुनावी लड़ाई को जीतने का मतलब है तानाशाही ताकतों को करारी हार देना, संसद में इसकी ताकत को पंगु कर देना, इसका मतलब है हिन्दू सांप्रदायिक ताकतों की शक्ति को पंगु बना देना और उन द्वारा सरकार पर कब्जा करने के खतरे को मिटा देना, इसका मतलब है तानाशाही व सांप्रदायिकता से लड़ने में रूचि रखने वाली ताकतों की शक्ति को मजबूत करना और इसका मतलब है तानाशाही-विरोधी और सांप्रदायिक-विरोधी ताकतों में वामपंथी ताकतों की शक्ति को और भी मजबूत करना. मजदूर वर्ग को ये नतीजे हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी.

देश के लिए आगामी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं उन्हें यह निर्णय लेना है कि क्या तानाशाही और सांप्रदायिक ताकतें जन-वाद को हरायेंगी या जनतंत्र इन ताकतों को हरायेगा. तानाशाही ताकतों की चुनौती इंदिरा गांधी से और सांप्रदायिक ताकतों की चुनौती जनता पार्टी से आती है. **संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन की पूरी ताकत को इंदिरा की तानाशाही और जनता की सांप्र-दायिक ताकतों के खिलाफ संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन को पूरी ताकत से जुटना होगा और वामपंथी और जनवादी ताकतों को विजयी बनाने के लिए हर कोशिश करनी होगी.** कांग्रेस और जनता (एस.) गठजोड़ को इस महत्वपूर्ण संघर्ष में उचित भूमिका अदा करने का निर्णय लेना ही होगा. वामपंथी और जनवादी ताकतों की बढ़ती हुई शक्ति, वामपक्ष एकता की मजबूती और मजदूरों और कर्मचारियों का एकजुट ट्रेड यूनियन आंदोलन इन सबको मिलकर चुनावों में निश्चित रूप से जनता को विजयी बनाने में सफल होना चाहिए.

सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की 14 सितंबर को हड़ताल

सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की संघर्ष समिति की 24 अगस्त को बबंई में मीटिंग हुई जिसमें 14 सितंबर को होने वाली अखिल भारतीय सांकेतिक हड़ताल की तैयारियों की समीक्षा की गई.

इस हड़ताल का फैसला पिछली जुलाई में बंगलोर में हुई सार्वजनिक संस्थानों की ट्रेड यूनियनों की अखिल भारतीय कनवेंशन में लिया गया था. कनवेंशन में सार्वजनिक क्षेत्रों के यूनियनों के आंदोलन का मार्गदर्शन करने के लिये एक संघर्ष समिति बनाई भी गई थी.

मीटिंग जिसकी अध्यक्षता एस. वेंकटराम, अध्यक्ष, एच. एम. एस. ने की. निम्नलिखित बयान जारी किया. :

बंगलोर में हुए सार्वजनिक क्षेत्रों की यूनियनों के कनवेंशन में लिए गये फैसले के मुताबिक 14 सितंबर को समूचे देश में सांकेतिक हड़ताल पर जाने की सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की तैयारी का संघर्ष समिति अभिनदंन करती है. यह कर्मचारियों को आह्वान करती है कि सांकेतिक हड़ताल की और जोरदार तैयारियां करें ताकि अखिल भारतीय सांकेतिक हड़ताल पूरी तरह सफल हो.

महाराष्ट्र तथा बिहार की ट्रेड यूनियनों के 14 सितंबर को सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल के साथ राज्य में बंध आयोजित करने के निर्णय का संघर्ष समिति स्वागत करती है.

संघर्ष समिति खेद के साथ यह नोट करती है कि बंगलोर कनवेंशन द्वारा उठाई गई मांगों पर केंद्रीय सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, इसीलिए 29 अगस्त को हड़ताल के नोटिस देने तथा सभी सार्वजनिक क्षेत्र की युनिटों में संयुक्त प्रदर्शन करने का फैसला ज्यों का त्यों है.

संघर्ष समिति यह स्पष्ट करना चाहती है कि कर्मचारियों की जायज मांगों पर समझौता करने के बारे में अगर सरकार गंभीर है तो वह हड़ताल की निश्चित तारीख से काफी पहिले द्विपक्षीय समझौता वार्ता द्वारा बातचीत शुरू करे. सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी यह महसूस करते हैं कि 1978 में, जब अखिल भारतीय हड़ताल वापस ली गई थी, उनके साथ धोखेबाजी की गई. और इसलिए संघर्ष समिति यह स्पष्ट करना चाहती है कि बिल्कुल आखिरी समय पर बुलाई गई मीटिंग में यह हिस्सा नहीं लेगी.

संघर्ष समिति इंटक से सांकेतिक हड़ताल का समर्थन करने की अपील करती है.

14 सितंबर की सांकेतिक हड़ताल के तुरंत बाद आगे की कार्यवाही तय करने के लिये संघर्ष समिति की मीटिंग बुलायी जाएगी.

कर्मचारियों की एकता के कारण रिजर्व बैंक के प्रबंधकों को झुकना पड़ा

रिजर्व बैंक के कर्मचारियों ने अपने संघर्ष के पहले चरण में विजय हासिल की है. बक के प्रबंधकों को 4 अगस्त को हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसके तहत (1) प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों के विरुद्ध उठाए गए सभी दण्डनीय कदमों को वापिस ले लिया गया है; (2) सस्पैंशन के समय को ड्यूटी के तौर पर माना गया है; (3) वेतन कटौती हड़ताल के सिर्फ वास्तविक समय के आधार पर की जाएगी हालांकि दूसरे बैंकों में आंशिक काम रोकने पर भी पूरे दिन वेतन काट लेना आम बात है, जिसका बैंकों में कर्मचारियों के संगठन जरा भी विरोध नहीं करते; तथा (4) बैंक के प्रबंधक कर्मचारियों के संघर्ष पर रिजर्व बैंक अध्यादेश द्वारा प्रतिबंध के उल्लंघन में किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं करेंगे.

यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ट्रिब्युनल के होने के बावजूद भी प्रबंधकों को कर्मचारियों के मांग पत्र पर द्विपक्षीय बातचीत के जरिये समझौता करने के लिए बाध्य होना पड़ा. इसके अलावा प्रबंधकों की पेशकश पर तब तक बातचीत नहीं होगी जब तक कर्मचारियों की मांगों पर समझौता नहीं हो जाता तथा उसे लागू करने के लिए नहीं भेज दिया जाता.

यह पहलू इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि (1) दूसरे बैंक के कर्मचारियों के संगठनों ने 1978 के शुरू में ही कंसिलिएशन कार्यवाही के शुरू होते ही इस तरीके को स्वीकार कर लिया था कि बातचीत के दौरान प्रबंधकों और कर्मचारियों की मांगें साथ-साथ 'पैकेज डील' के हिस्से के रूप में स्वीकार की जाएगी और (2) रिजर्व बैंक के प्रबंधकों की मांगें भी कर्मचारियों की मांगों के साथ-साथ ट्रिब्युनल को पेश की गईं थीं.

रिजर्व बैंक के प्रबंधकों और ए. आई. आर. बी. ई. ए. के बीच में कर्मचारियों के मांग पत्र पर समझौता वार्त्ता चल रही है. आंदोलन के मुख्य मुद्दे जैसे महंगाई भत्ते की भविष्य में दर और उस पर आगे कोई सीमा न लगाना अभी भी सुलझाना बाकी है.

11 अगस्त को राजधानी में मजदूर वर्ग की शानदार एकता

दिल्ली में न्यूनतम वेतन 350 रुपये तथा 150 रुपये महंगाई भत्ते की मांग को लेकर दिल्ली के 5 लाख मजदूरों ने राजधानी में 11 अगस्त को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल द्वारा एकजुट संघर्ष कर जबरदस्त ताकत का परिचय दिया है. यह शानदार संयुक्त कार्यवाही 24,000 हड़ताली कपड़ा मजदूरों, म्युनिसिपल कार्पोरेशन, लाक आउट हुई टाइम्स आफ इंडिया तथा नैशनल हेराल्ड अखबारों तथा लिपटन टी इंडिया के कर्मचारियों का समर्थन प्रकट करने के लिए भी की गई थी.

इंजी यरिंग, कैमिकल्स, फूड एंड बीवेरेजिज, साबुन, हौजरी, पावरलूम, हैंडलूम, होटलों और रेस्ताराओं, म्युनिसिपल, कंस्ट्रक्शन युनिट्स और युनिवर्सिटी में काम कर रहे कर्मचारियों द्वारा जबरदस्त एकता और दृढ़ता के कारण दिल्ली का सारा औद्योगिक कामकाज ठप्प हो गया, तथा मुख्य बाजार भी इससे प्रभावित रहे. सभी केन्द्रीय यूनियनों- सीटू, एटक, यू. टी. यू. सी., एच. एम. एस. और बी. एस. एम. की दिल्ली इकाइयों के कनवेंशन द्वारा दिए गए संयुक्त आह्वान का यह शानदार जबाब था.

हड़ताल को भंग करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा न्यूनतम वेतन में में वृद्धि कर 185 रुपये से 200 रुपये करने प्रस्ताव का मजदूरों ने मुंहतोड़ जवाब दिया तथा और भी उत्साह से इस कार्यवाही में भाग लिया.

प्रशासन ने जलसों और प्रदर्शनों में भाग ले रहे हड़तालियों पर निर्मम हमले किये. वजीरपुर, सब्जीमंडी, आजादपुर, बिरला मिल्स, फिल्मिस्तान, मोतीनगर, शकूरबस्ती, लारेंस रोड, पर सशस्त्र गुंडों ने हथियारों से मजदूरों पर हमले किए और पुलिस चुपचाप खड़ी देखती रही. पुलिस और पेशेवर गुंडों की मिलीभगत का नंगा नाच घंटाघर पर उस समय देखने को मिला जबकि पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पुलिस वैन में लाए जा रहे हड़ताली मजदूरों पर गुंडों ने पत्थरों आदि से हमला किया. राज्य कमेटी के नेताओं सहित सैंकडों मजदूरों पर आई. पी. एस. की धारा 307 के तहत झूठे दोष लगाए गए.

संयुक्त ट्रेड यूनियन कमेटी ने एक बयान में इस हड़ताल को शानदार रूप में सफल बनाने के लिए मजदूरों को बधाई दी. बैंकों, एल. आई. सी., और आर. बी. आई. की यूनियनों ने भी उन्हें बधाई दी है.

दिल्ली प्रशासन के गैर जनवादी और मजदूर वर्ग विरोधी चरित्र इससे साफ जाहिर हो जाता है कि गिरफ्तार मजदूरों को जमानत पर रिहा करने में इसने देर की. तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जिसके विरोध में उन्हें जेल में भूख हड़ताल पर जाना पड़ा.

संयुक्त ट्रेड यूनियन कमेटी ने एक बार फिर दिल्ली प्रशासन के मजदूरों की जायज मांग मान लेने का आग्रह करते हुए चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर समूचा मजदूर वर्ग आंदोलन तेज करने के लिए मजबूर हो जाएगा.

कपड़ा मजदूरों पर पुलिस दमन की निंदा

दिल्ली राज्य सीटू के महासचिव जयन्त राय ने 23 अगस्त को यह बयान जारी किया :

राजेंद्र प्लेस में, जहां दिल्ली क्लाथ मिल के दफ्तर हैं, कपड़ा मजदूरों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज तथा आंसू गैस छोड़ने की सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी कड़ी निंदा करती है. कपड़ा मजदूरों पर, जो अब 59 दिनों से हड़ताल पर हैं, छतों के ऊपर से चौकीदारों तथा सुरक्षा कर्मचारियों ने पत्थर फेंक कर हमला किया और पुलिस ने मजदूरों पर लाठीचार्ज किया और प्रदर्शन में शामिल औरतों को भी नहीं बख्शा. पुलिस ने अलग से इस जगह पर आए डी. सी. एम. के मजदूरों पर भी आंसू गैस छोड़ी और उनमें से 25 को गिरफ्तार कर लिया.

बाद में पुलिस की व्यापक घेराबंदी और आतंक के बावजूद 100 मजदूरों ने वहां सत्याग्रह किया तथा गिरफ्तारियां दी.

सीटू दिल्ली प्रशासन तथा पुलिस अधिकारियों की डी. सी. एम. के प्रबंधकों से इस क्रूर दमन के लिए साठगांठ करने की कड़ी निंदा करती है जिससे कितने ही मजदूरों तथा उनकी महिलाओं को चोटें पहुंची हैं. सीटू इस हमले की जांच की और जिम्मेदार व्यक्तियों को इसकी सजा देने की मांग करती है.

म्युनिसिपल कर्मचारी गिरफ्तार

दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन के 3000 मजदूर म्युनिसिपल वर्कर्स लाल झण्डा यूनियन (सीटू) के नेतृत्व में 10 जुलाई से धरने पर बैठे हैं. जब बी. एम. एस. और इंटक की यूनियनों ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था तब म्युनिसिपल अधिकारियों ने सोचा कि लाल झण्डा यूनियन भी, जो 12 जुलाई से हड़ताल पर है, उसी तरह आत्मसमर्पण कर देगी. किन्तु लाल झण्डा यूनियन ने इस संघर्ष को और भी आगे बढ़ाया और दिन पर दिन संघर्ष जोर पकड़ता जा रहा है. फिर भी यूनियन ने म्युनिसिपल अधिकारियों से समझौता वार्ता करने की पूरी कोशिश की पर इसका कुछ भी लाभ नहीं निकला.

यूनियन दिल्ली प्रशासन के श्रम विभाग के कार्यकारी पार्षद और राज्य

[शेष पृष्ठ सोलह पर]

एकजुट संघर्ष और चटकल मजदूरों की अखिल भारतीय फेडरेशन बनाने का फैसला

विशाखापटनम के रोटेरी क्लब हाल में 15 अगस्त को विभिन्न राज्यों के जूट उद्योग में सीटू से संबद्ध यूनियनों के प्रतिनिधि भारत में जूट मजदूरों के विभिन्न मुद्दों पर संयुक्त संघर्षों के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने तथा जूट मजदूरों की एक अखिल भारतीय फेडरेशन बनाने के संबंध में निर्णय लेने के लिए मिले थे.

आंध्रप्रदेश की ट्रेड यूनियन के महत्वपूर्ण नेता तथा चित्तावाल्सा जूट वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष, एस. गंगाधर रेड्डी ने कनवेंशन की अध्यक्षता की. कनवेंशन में सात राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया जिसमें पश्चिम बंगाल के ट्रांसपोर्ट मंत्री तथा बंगाल चटकल मजदूर यूनियन के संगठन मंत्री मोहम्मद अमीन, बी. सी. एम. यू. के अध्यक्ष नीरेन घोष, बी. सी. एम. यू. के महासचिव तथा 1972 में बनी आर्गेनाइजिंग कमेटी के संयोजक कमल सरकार, उड़ीसा से रघुनाथ दास आसाम से जे. सइकिया और बिहार से सुधीर सेनगुप्ता शामिल थे. यू. पी. के प्रतिनिधि किन्हीं खास कारणों से शामिल न हो सके परंतु कानपुर की जे. के. जूट मिल्स के महासचिव दौलतराम ने अपने एक संदेश में कनवेंशन को यू. पी. की तरफ से बधाई देते हुए फरवरी 1980 में कानपुर में जूट मजदूरों की अखिल भारतीय कांफ्रेंस करने के निमंत्रण को पुन. दोहराया.

महत्वपूर्ण बात

1969 से 1979 के बीच जूट मजदूरों के हुए हड़ताली संघर्षों ने मजदूरों की आशाओं को ऊंचा उठा दिया है तथा उनमें एकता की भावना जगा दी है. जिसका भारत के जूट ट्रेड यूनियन आंदोलन में आज यह महत्व है कि उन सभी राज्यों में जहां जूट मिलें हैं, वहां जूट ट्रेड यूनियनों का विकास हुआ है. अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से संबंधित यूनियनों के अलावा सीटू ने इन सभी राज्यों में जूट मजदूरों की यूनियनें बनाई हैं जिनकी आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड को छोड़ कर कुल सदस्य संख्या 1,27,975 है. हालांकि मध्यप्रदेश में एटक से संबंधित सिर्फ एक यूनियन है पर सीटू से संबंधित मजदूर इस यूनियन में सक्रिय हैं.

कागजी समझौता

कनवेंशन की मुख्य रिपोर्ट को आर्गेनाइजिंग कमेटी के संयोजक कमल सरकार ने पेश किया. रिपोर्ट ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि हालांकि सारे देश में जूट ट्रेड यूनियन आंदोलन में विकास हुआ है इसके बावजूद भी विभिन्न राज्यों के जूट मजदूरों के वेतन, काम की शर्तें और उन्हें मिलने वाले अधिकारों तथा सुविधाओं में भारी अंतर है. जूट मिल मालिकों ने इस परिस्थिति का लाभ उठाने की कोशिश की है और अन्य राज्यों में नई जूट मिलें खोल ली हैं ताकि एक राज्य में मजदूरों की हड़ताल से उनके कुल उत्पादन तथा मुनाफे में कोई कमी न आए. 1974 में सफल अखिल भारतीय हड़ताल के बाद हमने केंद्रीय सरकार को दिल्ली और कलकत्ता में त्रिपक्षीय बैठक बुलाने के लिए मजबूर किया. जहां तत्कालीन श्रममंत्री रघुनाथ रेड्डी ने बदली मजदूर के लिए काम या भत्ते का फैसला किया और सारे प्रदेशों में जूट मजदूरों के वेतन और काम की शर्तों में समरूपता लाने का आश्वासन दिया था. ये फैसला और आश्वासन जूट मजदूरों के एक अखिल भारतीय संगठन के अभाव में, सिर्फ कागज पर रहा, जो सरकार को इन्हें लागू करने को मजबूर कर सकता.

मुख्य रिपोर्ट पर बहस करते हुए सभी राज्यों के ट्रेड यूनियन नेताओं ने अपने राज्यों की रिपोर्टों को पेश किया. सभी ने इस बात को बहुत जोरों से रखा कि जूट मजदूरों की अखिल भारतीय फेडरेशन बनाने के, 1972 में लिए गए निर्णय को बहुत ज्यादा देर हो गई है और अखिल भारतीय फेडरेशन बनाने की तैयारी में बिना किसी देरी के एक अखिल भारतीय कांफ्रेंस का आयोजन किया जाए.

रिपोर्ट और फरवरी 1980 में कानपुर में एक अखिल भारतीय कांफ्रेंस आयोजित करने का सुझाव सर्वसम्मति से पास हुआ.

प्रस्ताव

कनवेंशन ने अन्य कई प्रस्ताव भी अपनाए. सभी को बोनस वाले प्रस्ताव में सभी उद्योगों में चाहे वे घाटे या मुनाफे में हों मजदूरों को 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस देने की मांग की और मुनाफा होने पर अधिक बोनस देने की मांग की. एक अन्य प्रस्ताव में कनवेंशन ने पश्चिम बंगाल में त्रिपक्षीय समझौते को लागू करने तथा अन्य राज्यों में बंगाल में हुए समझौतों के आधार पर काम की शर्तों को सुधारने की मांग की. एक अन्य प्रस्ताव में चित्तावाल्सा स्टाफ यूनियन की मांगों और हड़ताल का समर्थन करते हुए जूट मिल मालिक श्रीमान बाजोरिया से मांग की कि वह कर्मचारियों की जायज मांगों को तुरंत स्वीकार करें.

कनवेंशन ने 1972 में बनी आर्गेनाइजिंग कमेटी को कुछ बदलाव के साथ पुनः चुना. कमेटी में एस. गंगाधर रेड्डी, कामेश्वरराव, के. वैंकाटेस्वारूलू, दौलत राम, रघुनाथ दास, रवि सिन्हा, बांके बिहारी, जे. सइकिया, सुधिन कुमार, नीरेन घोष, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद अमीन और कमल सरकार (संयोजक) शामिल हैं.

[शेष पृष्ठ छः पर]

अमानवीय सेवा-शर्तों के खिलाफ संघर्ष

हिमाचल प्रदेश में राज्य बिजली बोर्ड के हाइडल प्रोजेक्टों में, 5,000 कर्मचारी काम करते हैं. भाबा हाइडल प्रोजेक्ट, जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड पर स्थित है, के कर्मचारियों की हालत तो बहुत ही चिंताजनक है. इस प्रोजेक्ट में बहुत से कर्मचारी तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त हैं. कई ग्रेज्युएट हैं, कुछ प्रशिक्षित शिक्षक तथा डिप्लोमा होल्डर हैं. करीब 300 आदमी, औरतें और बच्चे नेपाली हैं. इस प्रोजेक्ट मे ठेका मजदूर भी हैं जो ठेकेदारों के नीचे काम करते हैं. ये मजदूर सड़क तथा बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं. सर्दियों में बर्फ पड़ने के कारण सारा निर्माण कार्य बंद रहता है. और सारे मजदूर कुल्लू तथा किरमान जिलों में चले जाते हैं.

हालात

किरमान बहुत ही बिखरी आबादी का ट्राइबल इलाका है. इसमें किराए के लिए कोई भी निजी मकान उपलब्ध नहीं है. मजदूर मिलजुल कर जी.आई. चादरों के एक शेड बनाते हैं. और आमतौर पर एक शेड में 5 मजदूर रहते हैं. यहां पीने का पानी, संडास, स्नान घर तथा बिजली की कोई भी व्यवस्था नहीं है. और न कोई डाकघर है न ही सरकारी स्कूल, इतना ही नहीं जब पत्थर तोड़ने के लिए बारूद लगाते हैं उस समय मजदूरों को सावधान करने के लिए भी भोंपू की व्यवस्था नहीं है. दुर्घटनाओं में घायल हुए मजदूरों के लिये कोई भी अस्पताल नहीं है. सबसे पास अस्पताल 53 किलो-मीटर दूरी पर है. इस जिले में जलाने की लकड़ी भी उपलब्ध नहीं है. इस जंगली इलाके में बहुत तेज हवा चलती है तथा यह बरफ से छाया हुआ है. समतल इलाके से बहुत दूर इस क्षेत्र में न्यूनतम वेतन सिर्फ 7/- रुपये है. और सभी चीजों के दाम बहुत ही ज्यादा हैं.

राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को 125 प्रतिशत प्रतिपूरक भत्ता देती है. इसलिये इस प्रोजेक्ट के मजदूरों ने रुपये 11/75 वेतन की मांग की है. (पंजाब सरकार पी. डब्ल्यू. डी. के मजदूरों को रुपये 5.25 न्यूनतम वेतन तथा 125% प्रतिपूरक भत्ता देती है.)

विरोध प्रदर्शन

यहां के मजदूरों ने 5 मई को सीटू के नेतृत्व में एक यूनियन बनाई. 19 जून को मैनेजमेंट को बाकायदा नोटिस दिया गया और प्रदर्शन तथा आम सभा आयोजित की गई. मैनेजमेंट ने यूनियन के अध्यक्ष सहित 14 मजदूरों को काम से निकाल दिया है. इसके बाद 27 जून को इसके विरोध में एक भारी प्रदर्शन किया गया जिसमें 1,000 से अधिक मजदूरों ने भाग लिया. जो मजदूर अभी तक यूनियन में शामिल नहीं हुए थे वे भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए.

मजदूरों का संगठित संघर्ष देखकर मैनेजमेंट ने 27 जून को निकाले गये मजदूरों को वापस लेना मंजूर कर लिया. लेकिन बाद में उसने इसे लागू करने से इंकार कर दिया. भारी संख्या में प्रदर्शन करके मजदूरों ने अपना संघर्ष जारी रखा. 4 जुलाई से मजदूरों ने अनिश्चित समय के लिए भूख हड़ताल शुरू की और यूनियन ने 9 जुलाई से अनिश्चित-कालीन हड़ताल शुरू करने का फैसला किया. रात मे भी जुलूस तथा प्रदर्शन आयोजित किए गए.

समझौता

जिले के सिविल अधिकारियों के हस्तक्षेप के कारण स्थानीय मैनेजमेंट ने सभी निकाले गये मजदूरों को वापस लेना, अंतरिम समय का वेतन देना, चार दिन भूख हड़ताल पर बैठे 3 कर्म-चारियों को एक सप्ताह का आराम तथा सप्ताह का वेतन देना, शेड बांधने के लिये प्रत्येक मजदूर को 4 जी. आई. चादरें देना, सार्वजनिक स्नानघर तथा संडास बांधना, दैनिक वेतन पाने वाले मजदूरों को डाक लाने तथा भेजने के लिये नियुक्त करना, आफिसर कालोनी के चिकित्सालय को हटाकर कार्यालय पर लाना, जो मजदूर चाहते हैं उनको एक महीने में 10 दिन का बिना वेतन अवकाश देना. प्रशिक्षित श्रमिकों को सजा देने के नाम पर उनके वेतन में कटौती न करना. और डिविजनल आफिसर जिसने मजदूरों को निकाल दिया था, के खिलाफ विभागीय जांच करना स्वीकार किया.

न्यूनतम वेतन और वर्क चार्ज के आधार पर रोजगार की मांगों को बिजली बोर्ड को सौंपने के लिये भी मैनेजमेंट मान गई है.

काम से निकाले गये मजदूरों को वापस ले लिया गया है. मुख्य मांगें बोर्ड के चेयरमेन को सौंप दी गई हैं. और मजदूर संघर्ष, अगर जरूरत पड़ी तो, की तैयारी में लगे हैं.

चटकल मजदूर कनवेंशन

[पृष्ट पांच से आगे]

दो सभाएं और प्रदर्शन

15 अगस्त की दोपहर में चित्ता-वाल्सा में जूट मजदूरों की एक बहुत बड़ी सभा हुई जिसको दूसरों के अलावा सभी अखिल भारतीय नेताओं तथा स्थानीय नेताओं ने संबोधित किया. इसके अगले दिन निल्लीमार्ला में एक भारी सभा हुई जिसमें बी. सी. एम. यू. के सचिव शिवप्रसाद भट्टाचार्य तथा एस. गंगाधर रेड्डी ने भाषण दिए.

17 अगस्त को चित्तावाल्सा मिल्स के स्टाफ और कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में निकाले गए एक बड़े भारी प्रदर्शन में जूट मिलों और अन्य उद्योगों के हजारों मजदूरों ने हिस्सा लिया जिसमें पोर्ट और शिप-बिल्डिंग के मजदूरों ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया.

अमानवीय शोषण के विरुद्ध भारतीय नाविक एकजुट हो संघर्ष करें

भारत के इजारेदार जहाज मालिकों के जहाजों में भारतीय नाविकों को जिन अमानवीय हालतों में रहना और काम करना पड़ता है, वह 18वीं शताब्दी के 'गेली दासों' (ऐसे दास जिन्हें नाव पर काम करने का दंड दिया गया हो) की याद दिलाता है. आजादी के 32 सालों के बाद भी हालतों में कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ है. भारतीय जहाजों में साधारण कर्मचारियों के लिए रहने की जगह, खाने और पीने के पानी, चिकित्सा सुविधाओं आदि का स्तर न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर से काफी नीचे है बल्कि मानवीय स्तर से भी काफी नीचे है.

जिंदगी खतरे में

शिपिंग मिनिस्ट्री और बोर्ड के अफसरों द्वारा अनदेखा करने और जहाजों के ज्यादातर व्यापारियों से सांठगांठ तक करने के कारण एस. सी. आई. के जहाजों सहित भारतीय जहाजों में कर्मचारी अपर्याप्त संख्या में है जिसके नतीजतन कर्मचारियों पर काम का बोझ काफी बढ़ जाता है जो कि आई. एल. ओ. के नियमों का उल्लंघन है. जहाजों के मालिक जहाजों की मरम्मत का ख्याल नहीं रखते हैं तथा ज्यादातर जहाज ठीक से नहीं रखे जाते जिससे नाविकों की जिंदगी निरंतर खतरे में रहती है. उचित भोजन तथा गरम कपड़ों की कमी, रहने के लिए अनुपयुक्त और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जगह, चिकित्सा सुविधा का अभाव और न्यूनतम आवश्यक सुरक्षा सावधानियों के अभाव के कारण समुद्र में जिंदगी खोने का खतरा तथा बेड़े पर नाविकों की बीमारी या दुर्घटना से जिन्दगी खोने का खतरा बना रहता है.

बेरोजगारी

नाविकों में और खासकर कलकत्ता पोर्ट में अमहनीय अनुपात में बेराजगारी बढ़ गई है. पिछले 30 सालों नाविकों की नियुक्ति सभी मुख्य पोर्ट्स में काफी नीचे आ गई है. **बेरोजगारी की हालत यह देखने पर पता चलती है जब हम कलकत्ता पोर्ट में कुल काम करने वालों की सख्या देखें, पोर्ट में रजिस्टर्ड नाविकों की संख्या** 11,000 **से भी ज्यादा है लेकिन** 31 **जनवरी** 1979 **को यहां केवल** 5272 **नाविक ही काम करते थे. हांलाकि हर जहाज पर औसत** 37 **आदमियों के हिसाब से** 40,000 **ऊपर कर्मचारी होने चाहिए थे.** नाविकों के काम की सुरक्षा नहीं है, बेरोजगारी भत्ते की भी कोई व्यवस्था नहीं है. एक बार समुद्री यात्रा करने के बाद नाविकों को यह मालूम नहीं होता कि वे उसके बाद कब तक खाली बैठे रहेंगे. इजारेदार जहाज मालिकों के लालच और शिपिंग मंत्रालय की लापरवाही के कारण नाविकों की सामाजिक सुरक्षा के बारे में आज तक कभी भी कोई स्थाई इंतजाम नहीं किया गया है. इन्होंने यह सांठगांठ सिर्फ नाविकों को कम वेतन देने के लिए कर रखी है. ताकि जहाज मालिकों को ज्यादा मुनाफा और सरकार को ज्यादा राजस्व मिल सके. बेरोजगारी या ले-आफ लाभ, चिकित्सा या बीमारी लाभ और पैंशन वगैरह से भारत के नाविक एकदम अनजान हैं.

झूठा प्रचार

भारत के नाविक इसके लिए चुपचाप नहीं बैठे है. उन्होंने पिछले दो सालों से खाने के, पीने का पानी और चिकित्सा सुविधाओं के न मिलने या घटिया स्तर की मिलने के खिलाफ और अस्वास्थ्यजनक रहने की जगह, और स्टाफ की कमी के खिलाफ लगातार आन्दोलन, हड़तालें छेड़कर तथा भारत या बाहर की बंदरगाहों पर जहाजों में काम रोककर विरोध प्रकट किया है. कलकत्ता पोर्ट में ही एस. सी. आई. द्वारा चलाए जा रहे तथा अन्य जहाजों को, नाविकों की विभिन्न कार्यवाहियों द्वारा फारवर्ड सीमेंस यूनियन या संयुक्त नेतृत्व में नाविकों ने रोके रखा है. नाविकों की इन कार्यवाहियों के पीछे असली शिकायतों को जानने और उनकी जायज मांगों के जरा भी मानने को तैयार होने की बजाय जाहजों के मालिकान जहाजरानी मत्रालय से सांठगांठ कर, कलकत्ता बंदरगाह के नाविकों और पश्चिम बगाल की वाम मोर्चा सरकार को बदनाम करने के लिए झूठी अफवाहें, मनगढ़न्त प्रचार और झूठी खबरें फैला रहे हैं. **कलकत्ता बम्बई की बंदरगाहों में** 39,325 **रजिस्टर्ड नाविकों की भलाई और काम के हालात के बारे में जहाजरानी और यातायात मत्रालय के पास कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है. बल्कि वह नाविकों के खिलाफ इजारेदार जहाज व्यापारियों के झूठे प्रचार का समर्थन कर उनको शोषण करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं.**

हड़ताल की तैयारियां

अपने एक बयान में फारवर्ड यूनियन आफ इंडिया (सीटू) के अध्यक्ष एम. ए. सईद तथा महासचिव अशुतोष बैनर्जी ने भारतीय नाविको को इजारेदार जहाज व्यापारियों के अमानवीय व्यवहार के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया है. उन्होने भारतीय नाविकों को **एक दिन की अखिल भारतीय हड़ताल** और फिर बाद में अगर सरकार और जहाज मालिकों की तरफ से उनके 9 सूत्री मांगों को मानने के लिए जबाव नहीं आता है तो **अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए तैयारी करने का आह्वान किया है.**

यूनियन की 9 सूत्री मांगों में आई. एल. ओ. का बेसिक न्यूनतम 78 पोंड को लागू करना, साईन आफ से साईन आन तक बेरोजगारी भत्ता, दो बार चिकित्सा परीक्षा को खत्म करना पारिवारिक चिकित्सा भत्ता, यूनियन को मान्यता और शिपिंग उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने आदि की मांगें शामिल हैं.

कोयला समझौते का अंतिम रूप

16 मई, 1979 से लेकर देर तक चलने वाली लम्बी समझौता वार्ता के बाद आखिरकार समझौते पर 11 अगस्त को कलकत्ता में हस्ताक्षर हो गए. 6 लाख कोयला मजदूरों ने अनिच्छुक प्रबंधकों से, जिन्होंने आखिरी दम तक कोयला खदान मजदूरों की हर मांग का कड़ा विरोध किया, जबरदस्त रियायतें छीनीं.

पिछली 16 मई को मुख्य मुद्दों पर अस्थायी समझौता हुआ था और यह बात तय हुई थी कि बाकी मुद्दों को तीन महीने के अंदर तय कर लिया जाएगा. इन रियायतों को समझौता वार्ता में भाग लेने वाली सभी केंद्रीय ट्रेड यूनिनबनों द्वारा एकजुट होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकियों के कारण ही प्राप्त किया जा सका है.

समझौते में न्यूनतम वेतन 512 रु. माना गया. परन्तु सूचकांक में 2 प्वाइंट की गिरावट का फायदा उठा कर प्रबंधकों ने अपनी मनमानी से महंगाई भत्ते का एक हिस्सा काटने का फैसला कर लिया. इसका सभी ट्रेड यूनियनों ने दृढ़ता से विरोध किया और प्रबंधकों के अड़ियल रवैये के कारण समझौता वार्ता आगे न बढ़ सकी. लेकिन आखिरकार प्रबंधकों को झुकना पड़ा और 512 रुपये के न्यूनतम वेतन में पिछले तीन महीने के दौरान सूचकांक के गिरने के बावजूद भी कोई कटौती न करने के लिए सहमत होना पड़ा.

न्यूनतम वेतन

मजदूरों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 312 के आधार पर महंगाई भत्ता मिला. न्यूनतम वेतन इस प्रकार तय किया गया.

न्यूनतम बेसिक वेज	रु. 390·00
बेसिक के 10% पर हाजिरी बोनस	रु. 39·00
हाजिरी बोनस पर विशेष डी. ए.	रु. 7·00
फिक्स्ड डी. ए. सूचकांक 333 पर	रु. 68·20
वी. डी. ए.	रु. 7·80
कुल	512·00

मजदूरों के नुमांइदों ने सूचकांक में रु. 1·30 प्रति प्वाइंट को स्थिर करने को नहीं माना. उन्होंने जोर देकर कहा कि वे पूरी भरपाई के लिए दबाव डालते रहेंगे और अंतिम समझौता होने तक चालू प्रथा जारी रहेगी.

सबसे कम पाने वाले अकुशल मजदूरों को दी जाने वाली रु. 73 90 पैसे की वृद्धि 1 जनवरी 1979 तक दर्ज विभिन्न वेतनमानों के मजदूरों को दी जाने वाली न्यूनतम गारंटिड वृद्धि होगी. इन सभी लाभों को जोड़कर अगर नया बेसिक वेज संशोधित वेतनमानों की दो अवस्थाओं के बीच हुआ तब कर्मचारी को संशोधित वेतनमान की ऊंची अवस्था में रखा जाएगा.

सालाना वृद्धि

संशोधित वेतनमान में सालाना वृद्धि जिन तारीखों से मिलेंगी वे इस प्रकार हैं :

जिनकी सालाना वृद्धि 1-1-79 से 28-7-79 के बीच में पड़ती है. 1-3-1979

जिनकी सालाना वृद्धि 1-3-79 से 31-8-79 के बीच में पड़ती है. 1-4-1979

जिनकी सालाना वृद्धि 1-9-79 से 28-2-80 के बीच में पड़ती है. 1-3-1980

बाद की सालाना वृद्धि आखिरी वृद्धि के हर एक साल के बाद दी जाएंगी.

वेतन की दरें संशोधित

पीस रेट पर काम करने वाले मजदूरों में वेतनों की दरें भी तदनुसार संशोधित की गई हैं. मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के खदान मजदूर और बोझ लादने वाले मजदूरों पर पिछले समझौते में काम का बोझा, ज्यादा तय होने के कारण उनके वेतनों में बढ़ौतरी दो अवस्थाओं में की जाएगी ताकि 1 जनवरी 1982 तक इन मजदूरों की वेतन वृद्धि 81 सी. एफ. टी. कार्यभार पर दर के अनुसार ही हो. खनिकों और लीडर्स के लीड और लिफ्ट भुगतान में संशोधन से वृद्धि हुई है इसके अलावा लीड और लिफ्ट भुगतान सभी प्रकार से बेसिक वेज के रूप में ही समझा जाएगा.

भूमिगत भत्ता

भूमिगत भत्ते को बेसिक वेज के 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत कर दिया गया है. आसाम के कोल फील्ड्स में यह भत्ता इस सुविधा के साथ 17½ प्रतिशत की दर से दिया जाएगा कि 1-1-1982 से यह बढ़ा कर 20 प्रतिशत की दर से कर दिया जाएगा.

भूमिगत भत्ते को 1. अर्जित/सालाना छुट्टी वेतन के हिसाब में, 2. राष्ट्रीय त्यौहार की छुट्टियों के भुगतान, 3. बीमारी की छुट्टी 4. ओवरटाइम, 5. ग्रेच्युटी, 6. प्रोविडेंट फंड, के बारे में भूमिगत भत्ते को हिसाब में रखा जाएगा.

छुट्टियां

मजदूरों को सात दिन की केजुअल छुट्टी और माइन्ज एक्ट के आगे संशोधन होने तक 4 दिन की अतिरिक्त केजुअल छुट्टी मिलेगी. अर्जित/सालाना छुट्टी को 70 दिन तक जमा किया जा सकता है तथा पूरे वेतन के साथ बीमारी की छुट्टी को 45 दिन तक जमा किया जा सकता है. टी. बी., कैंसर, कुष्ठ रोग, लकवा आदि की बीमारी से पीड़ित मजदूरों को आधी तनख्वाह पर 6 महीने तक की छुट्टी दी जाएगी.

आवास सुविधा

प्रबंधक समझौते के अर्से के दौरान हर साल 12,000 से ज्यादा मकान बनाने के लिए तैयार हो गए हैं. जिन मजदूरों को खास किस्म के मकान नहीं दिए गए हैं, उन्हें हर महीने 12 रुपये मकान किराया भत्ता दिया जाएगा. शहरों और कस्बों में कर्मचारियों को दिए जाने वाले मकान किराया भत्ते की प्रतिशत को ज्यों का त्यों रखा जाएगा और उस पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी. कंपनी के मकानों में रहने वाले मजदूरों को 30 किलोवाट बिजली बिना किसी मूल्य लिए दी जाएगी.

यात्रा सुविधा

मौजूदा वापसी रेलवे किराया सुविधा चालू रखी जाएगी. 510 रुपये और अधिक बेसिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को पहले दर्जे की यात्रा सुविधा दी जाएगी. छुट्टी में यात्रा रियायतों के बारे में एक कमेटी बनाई जाएगी जो 6 महीने के अंदर इसका ब्यौरा तैयार करेगी.

ग्रेच्युटी आदि: तीस साल से ज्यादा की नौकरी वालों के लिए ग्रेच्युटी एक महीने के कुल वेतन के हिसाब से तय की जायगी. लाइफ कवर स्कीम और मजदूरों की क्षतिपूर्ति इस्पात उद्योग के समान मिलेगी, काम करने अयोग्य हो जाने वाले और मर जाने वाले मजदूरों पर निर्भर परिवार के एक सदस्य को कोलियरी में नौकरी दी जायगी.

चिकित्सा सुविधाएं: प्रबंधक चिकित्सा सुविधा को सुधारने के लिए इस संबंध में बनी द्विपक्षीय सब-कमेटी की सिफारिशों के अनुसार सहमत हो गए हैं. एम्बुलैंस सुविधा को सुधारा जाएगा और हर व्यक्ति पर चिकित्सा के लिए खर्च सिंगरानी कोलियरी में होने वाले खर्च के समान होगा.

मुफ्त कोयला: मुफ्त कोयला देने की मौजूदा प्रणाली जारी रखी जाएगी. यह ध्यान में रखना चाहिए की बावेजा कमेटी ने कोयले की सप्लाई को कम करने की सिफारिश की थी.

जिन मजदूरों को उनके पहले के काम के स्थानों से आठ किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दिया गया है उन्हें हर रोज 50 पैसे किराया भत्ता दिया जाएंगा.

कमेटियां: खास खास समस्यायों के विशेष ब्यौरे के लिए निम्नलिखित कमेटियां बनाई जाएंगी.

1. स्टेंडर्डाइजेशन
2. पदोन्नति नीति संबंधी कमेटी
3. इंसेंटिव स्कीम कमेटी
4. एल. टी. सी. पर कमेटी

समझौता 1-1-1979 से लागू होगा और 4 साल के लिए मान्य रहेगा.

मजदूरों को बकाया रकम का भुगतान 20 सितंबर से पहले कर दिया जाएगा, नए वेतन अक्तूबर 1979 से दिये जाएंगे.

संयुक्त द्विपक्षीय कमेटी की अगली बैठक कलकत्ता में 4 अक्तूबर को होगी जो सब-कमेटीयां बनाएगी. सीटू की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर एम. के. पंधे और बामापद मुकर्जी ने किए.

समझौते के आखिरी रूप ने कोयला खदान मजदूरों में बेहद उत्साह पैदा किया है. मजदूरों को सावधान रहना होगा और यह देखना होगा कि समझौते को पूरी तरह लागू किया जाता है और सब कमेटियों को भेजे गए मुद्दों पर मजदूरों की संतुष्टी से समझौता होता है.

टाटा आयल मिल मजदूरों की हड़ताल का सीटू द्वारा समर्थन

मजदूरों और कर्मचारियों के अखिल भारतीय मांग पत्र पर समझौता वार्ता चालू करने से पहले महंगाई भत्ते पर सीमा लगाने की शरारतपूर्ण और न मानने योग्य पूर्वशर्त लगाकर हमारे देश के सबसे बड़े इजारेदार टाटा हाल ही में अपने 'आदर्श मालिक' के नकाब को उतार फेंक अपने नंगे रूप में सबके सामने आ गए हैं.

कंपनी की लगातार बढ़ती हुई उत्पादन संपत्ति और मुनाफे के बावजूद मजदूरों और कर्मचारियों का पैदावार मूल्य में से हिस्सा घटता जा रहा है. बंगलौर में कंपनी के कैटल फीड प्लांट में एक मजदूर का कुल वेतन आज केवल 130 रुपये माहवार है और इसीलिए टी. ओ. एम. सी. ओ. के पांच हजार मजदूर 9 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं.

हड़ताल से पहले 30 जुलाई को कलकत्ता में हुई ट्रेड यूनियन कनवेंशन ने मजदूर वर्ग के सभी हिस्सों को टी. ओ. एम. सी. ओ. और एल. ए. के. एम. ई. (लक्मे) के संघर्षरत मजदूरों को हर मुमकिन सहायता देने का आह्वान किया है.

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 18 अगस्त को निम्नलिखित बयान जारी किया : सीटू, टाटा आयल मिल के 5,000 मजदूरों को उनकी जरूरत के आधार पर न्यूनतम वेतन, जीवनस्तर में वृद्धि की पूरी भरपाई. समान सेवा शर्तों तथा ठेकेदारी को खत्म करने आदि मांगों को लेकर 9 अगस्त से संयुक्त अखिल भारतीय हड़ताल का अभिवादन करती है.

मजदूरों की जायज मांगें स्वीकार करने की बजाय टाटा आयल मिल मैनेजमेंट ने महंगाई भत्ते पर सीमा लगाने की शर्त को थोपना शुरू किया. रुक रुक कर होने वाली बातचीत के बाद मजदूरों के पास हड़ताल शुरू करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था.

टाटा मैनेजमेंट हड़ताल तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है और यूनिट स्तर पर ही बातचीत की पेशकश कर फेडरेशन आफ टाटा आयल मिल्स एंड अलाइड कंपनीज एंप्लाईज यूनियन को परे धकेल रही है. वे इस विवाद को ट्रिब्यूनल को सौंपने की कोशिश करके समझौते में और देर करने की कोशिश कर रही है. सीटू को बहुत खुशी है कि टाटा आयल मिल के कर्मचारी मैनेजमेंट की हड़ताल तोड़ने की इन चालों के खिलाफ सफलता से लड़ रहे हैं.

सीटू केंद्रीय सरकार से इस विवाद में तुरंत हस्तक्षेप करने के लिए अपील करती है ताकि सभी विवादों पर जल्दी ही समझौता हो सके.

सीटू सभी ट्रेड यूनियनों से टाटा आयल मिल के कर्मचारियों को उनके संघर्ष के दौरान सहयोग देने की अपील करती है.

केंद्रीय सरकार की श्रम-विरोधी नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियन कनवेंशन

सीटू, यू. टी. यू. सी., टी. यू. सी. सी., 12 जुलाई कमेटी, को-आर्डिनेशन कमेटी आफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाईज एसोसिएशन, फेडरेशन आफ मर्केंटाइल एंप्लाईज यूनियंज, ईस्टर्न रेलवेमेंज यूनियन और अन्य संगठनों के संयुक्त आह्वान पर केंद्रीय सरकार की श्रम विरोधी नीतियों का विरोध करने के लिए 4 अगस्त को सदन हाल कलकत्ता में ट्रेड यूनियन कनवेंशन आयोजित की गई.

कनवेंशन ने मजदूर वर्ग और दूसरी मेहनतकश जनता को केंद्रीय सरकार की श्रम विरोधी नीतियों जैसे कि भूतलिंगम कमेटी रिपोर्ट, औद्योगिक संबंध विधेयक, रिजर्व बैंक कर्मचारियों के संघर्ष के खिलाफ लागू किया गया काला अध्यादेश, और हस्पताल तथा शिक्षा संस्थानों संबंधी विधेयक आदि के खिलाफ और इसके साथ ही साथ रेलवे कर्मचारियों को बोनस न देने की नीति, रिजर्व बैंक कर्मचारियों और पुलिस, सी. आई. एस. एफ., सी. आर. पी. आदि पर दमन की नीति, वेतनजाम की नीति, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की सामूहिक सौदेबाजी में ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के हस्तक्षेप आदि का विरोध करने का आह्वान किया है. कनवेंशन ने सभी क्षेत्रों में इन नीतियों के विरुद्ध सभाएं, सम्मेलन, प्रदर्शन इत्यादि आयोजित करने का आह्वान किया. इसने इन मुद्दों पर राज्य स्तरीय संयुक्त प्रदर्शन और सभाएं तथा जरूरी होने पर इस सवाल पर एक दिन की विरोध हड़ताल तथा बंद करने का भी फैसला लिया.

कनवेंशन ने सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की बंगलौर कनवेंशन द्वारा 13 अगस्त को अखिल भारतीय हड़ताल करने के फैसले का सर्वसम्मति से समर्थन किया.

कनवेंशन को, पश्चिम बंगाल राज्य सीटू के महासचिव मनोरंजन राय, समर मुखर्जी संसद सदस्य, परितोष बैनर्जी (ई. आर. एम. यू.), अरविंद घोष (12 जुलाई कमेटी), दिपेन घोष (सी. सी. सी. जी. ई. ए.), सीता सेठ (यू. टी. यू. सी.) और शांति भट्टाचार्य (ए. आई. आई. ई. ए.) व अन्यों ने संबोधित किया. कोआर्डिनेशन कमेटी आफ स्टेट गवर्नमेंट एंप्लाईज, जनरल इंश्योरेंस एंप्लाईज एसोसिएशन ए. आई. फर्टीलाइजर वर्कर्स फेडरेशन और फेडरेशन आफ शिपिंग कार्पोरेशन एप्लाईज यूनियंज के नेताओं ने भी कनवेंशन को संबोधित किया.

इंडियन आयल के कर्मचारी अनिश्चित-कालीन हड़ताल पर

इंडियन आयल के मजदूर और कर्मचारी अपनी यूनियन की मान्यता, मांग पत्र पर समझौते, छंटनी और सस्पेंशन को खत्म किए जाने आदि की मांगों को लेकर इंडियन आयल वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में 25 जुलाई से अनिश्चित-कालीन हड़ताल पर हैं.

यूनियन इन मामलों पर कुछ समय से प्रबंधकों के साथ बातचीत की मांग कर रही थी. राज्य लेबर कमिश्नर ने भी झगड़े को सुलझाने के लिए वर्कर्स यूनियन से सीधे समझौता वार्ता करने की सलाह दी थी, परंतु प्रबंधकों ने इस सलाह की उपेक्षा कर खुद ब खुद एटक से संबंधित अल्पमत एंप्लाईज एसोसिएशन से समझौता वार्ता चालू कर दी. वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी एम. पी. ने तत्कालीन पेट्रोलियम मत्री एच. एन. बहुगुणा से मई में बातचीत की थी जिन्होंने एक महीने के अन्दर गुप्त मतदान के जरिए प्रतिनिधि यूनियन का पता लगाने का आश्वासन दिया था. परन्तु इन आश्वासनों को लागू करने के लिए केंद्र ही नहीं बल्कि इंडियन आयल कार्पोरेशन ने भी कोई कदम नहीं उठाया. मजदूरों के पास सिवाय हड़ताल पर जाने के और कोई रास्ता नहीं था.

एटक द्वारा बाहरी तत्वों की मदद से हड़ताल में रुकावट डालने और उसे तोड़ने की कोशिशों के बावजूद भी हड़ताल पूर्ण-रूप से सफल रही जिसके नतीजतन उपभोक्ताओं को तेल उत्पादन मिलना बिल्कुल बंद हो गया. पूर्वी राज्यों की आर्थिक स्थिति, खासकर औद्योगिक उत्पादन और यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता देख पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने यूनियन से अनुरोध किया कि इस रीजन के लोगों के हित में केंद्र में नए पेट्रोलियम मंत्री के पद सम्भालने तक हड़ताल को स्थगित कर दें. उनके अनुरोध तथा इंडियन आयल के अध्यक्ष के इस आश्वासन पर कि हड़ताल में शामिल होने पर किसी भी प्रकार का विक्टिमाइजेशन नहीं होगा, वर्कर्स यूनियन ने हड़ताल को तीन हफ्तों के लिए स्थगित कर दिया.

केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों ने मांग दिवस मनाया

कनफेडरेशन आफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाईज एण्ड वर्कर्स, ए. आई. डिफेंस एंप्लाईज फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन आफ पी एण्ड टी एंप्लाईज के संयुक्त आह्वान पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और मजदूरों ने 20 जुलाई 1979 को समूचे भारत में मांग दिवस मनाया. समूचे पश्चिम बंगाल में यह दिन जलसे जलूस और सभाएं आयोजित करके मनाया गया.

20 जुलाई को दोपहर बाद कलकत्ता के शहीद मीनार मैदान में एक केंद्रीय

रैली आयोजित की गई जिसमें केंद्र सरकार के हजारों हजार कर्मचारियों ने जुलूसों में आकर हिस्सा लिया. सभा की अध्यक्षता शिशिर भट्टाचार्य ने की तथा केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों, पी. एण्ड टी. ए. आई. डी. ई. एफ. के नेताओं ने सभा का सम्बोधन किया. सीटू, एटक, यू. टी. यू. सी, टी. यू. सी. सी, एच. एम. एस, 12 जुलाई कमेटी, मर्केंटाईल एंप्लाईज फेडरेशन, कोआर्डिनेशन कमेटी आफ सेंट्रल एण्ड स्टेट गवर्नमेंट एंप्लाईज, ईस्टर्न रेलवेमेंज यूनियन इत्यादि ने यह रैली संयुक्त रूप से आयोजित की.

लिपटन कं० के मजदूरों की हड़ताल जारी

लिपटन कंपनी के मजदूरों और कर्मचारियों की कंपनी की कंप्यूटर लगाने की, काम को घटाकर स्टाकिस्ट नियुक्त करने की नीति के विरोध में पिछले चार महीनों से चालू हड़ताल अभी भी जारी है. मजदूर यूनियन के नेतृत्व में मजदूर 18 अप्रैल से एकताबद्ध हड़ताल पर हैं. कंपनी ने मजदूरों को उनकी अप्रैल मास की देय तनख्वाह को दिये बिना जवाबी कार्यवाही में 30 अप्रैल को कंपनी बंद कर दी. तभी से प्रबंधकों ने मजदूरों की एकता भंग करने और हड़ताल को तोड़ने के लिए हर प्रकार के नफरत भरे तरीके इस्तेमाल करने चालू कर दिए हैं. मगर मजदूर पूरे उत्साह में हैं और उनका विजयी होने तक हड़ताल को जारी रखने का पक्का इरादा है. लिपटन के संघर्षरत मजदूरों का ट्रेड यूनियनों, छात्रों, युवाजनों और अन्य जनसंगठनों ने समर्थन किया है.

फरक्का बांध के कर्मचारियों का संघर्ष स्थगित

फरक्का बांध के कर्मचारी, स्टाफ एसोसिएशन के नेतृत्व में अपनी 7 सूत्री मांगों, जिनमें प्रोजेक्ट भत्ते को जारी रखना, नौकरी की सुरक्षा, केजुअल कर्मचारियों की तरक्की, मकान की सुविधाएं वगैरह की मांगें शामिल हैं को लेकर संघर्ष कर रहे थे. केंद्रीय सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने उन्हें 2 से 7 जुलाई तक भूख हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर किया. अपने आंदोलन के अगले दौर में उन्होंने नेशनल हाइवे नं० 34 पर यातायात को जुलाई के तीसरे हफ्ते से रोकने का निर्णय किया था चूंकि इससे आम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था इसलिए मुख्य मंत्री ज्योति बसु ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और कर्मचारियों से इस संघर्ष को स्थगित करने का अनुरोध किया. वे पहले ही केंद्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री से बांध कर्मचारियों की जायज मांगों को समझौता वार्ता द्वारा हल करने के लिए लिख चुके थे. बांध कर्मचारियों ने अपने आंदोलन के अगले कार्यक्रम को सरकार के जवाब मिलने तक स्थगित कर दिया है.

हिंद मोटर फैक्ट्री में हड़ताल जारी

हिंदुस्तान मोटर फैक्ट्री के मजदूरों तथा कर्मचारियों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा आटोमोबाइल डिविजन में गैर कानूनी लाकआउट करने के विरोध में सीटू यूनियन के नेतृत्व में की जा रही हड़ताल अभी भी जारी है. यह हड़ताल प्रबंधकों द्वारा 24 जून को लाक आउट की घोषणा के बाद 27 जून से चालू हुई थी. प्रबंधकों के कड़े रवैये के कारण राज्य श्रम विभाग द्वारा समझौता कराने की सारी कोशिशें नाकामयाब रही.

दुर्गापुर के ठेका मजदूरों की लगातार हड़ताल

दुर्गापुर की डी. वी. सी. के तहत डी. टी. पी. एस. फैक्ट्री के मजदूर युनाइटिड कन्ट्रेक्टर्स वर्कर्स यूनियन (सीटू) के के नेतृत्व में अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन में 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. राज्य श्रम मंत्री के प्रयास से 3 अगस्त को त्रिपक्षीय बैठक हुई जिसमें डी. वी. सी. के अधिकारियों ने तथा ठेकेदारों ने राज्य श्रम विभाग की 164 मजदूरों को तुरंत स्थायी सेवा में लेने की सलाह को मानने से इंकार कर दिया. डी. टी. पी. एस के ठेका मजदूरों के संघर्ष का डी. वी. सी. श्रमिक यूनियन तथा दुर्गापुर की अन्य ट्रेड यूनियनों ने समर्थन किया है. डी. टी. पी. एस. के मजदूरों के समर्थन में मीटिंग व जुलूस आयोजित किये जा रहे हैं और पोस्टर निकाले जा रहे हैं.

बी. सी. एम. यू. के प्रतिनिधि मंडल ने आइ. जे. एम. ए. से समझौते को लागू करने की मांग की

हालांकि इस साल के शुरू में 50 दिन की हड़ताल के बाद त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए, छः महीने से ज्यादा बीत चुके हैं फिर भी आई. जे. एम. ए. ने समझौते की शर्तों को लागू करने की कोशिश नहीं की है. बंगाल चटकल मजदूर यूनियन (सीटू) की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें यूनियन के अध्यक्ष निरेन घोष, महासचिव कमल सरकार और सचिव मधु गुहा शामिल थे, आई. जे. एम. ए. के दफ्तर में उनके प्रतिनिधियों से 11 अगस्त को मिले और उन्होंने समझौते की शर्तों को तुरंत लागू करने की मांग की. आई. जे एम. ए. का प्रतिनिधित्व चेयरमेन के. के. बाजोरिया और सैक्रेटरी सूर्य चटर्जी ने किया.

प्रतिनिधिमण्डल ने आई. जे. एम. ए. की इस बात को मानने से इंकार किया कि वे समझौते की शर्तों को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं. प्रतिनिधि मण्डल ने सरकार द्वारा मनोनीत की जाने वाली कमेटी को बनाए जाने में देरी करने के लिए चिंता प्रकट की. बंगाल चटकल मजदूर यूनियन के नेता बाद में श्रममंत्री से मिले और उन्होंने इस सवाल पर एक और त्रिपक्षीय बैठक बुलाने का आग्रह किया.

[शेष पृष्ठ बारह पर]

जार्ज फर्नांडीस की रेलवे मजदूर आंदोलन में वापसी

नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन, केंद्रीय रेलवे के अध्यक्ष चुने जा कर जार्ज फर्नांडीस एक बार फिर रेलवे ट्रेड यूनियन आंदोलन में कूद पड़े हैं. परन्तु यह चुनाव पिछले अवसरों की तरह निर्विरोध नहीं था. एच. एम. एस. के समर्थकों के एक हिस्से ने उनका विरोध किया. पी. आर. मेनन जिनके स्थान पर फर्नांडीस आए हैं, अब यूनियन के महा-सचिव चुने गए हैं.

ए. आई. एल. आर. एस. ए. के साथ समझौता वार्ता में प्रगति

23 अगस्त को ए. आई. एल. आर. एस. ए. के नेताओं तथा रेलवे बोर्ड के बीच हुई बातचीत में 23 मार्च को हुए पिछले समझौते को लागू करने के बारे में कुछ प्रगति हुई है. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने वेतनमानों में अन्तर के बारे में समझौता वार्ता के लिए सीधे बात करने की पेश-कश की तथा 'इन्टेंसिव' और अन्य मांगों का सवाल एक उच्चस्तरीय कमेटी को सौंप दिया. इस बार जो तरीका सुझाया गया था वह पहले माने गए तरीके से भिन्न था इसलिए जब अध्यक्ष अपने विचारों को बातचीत के मिनट्स के तौर पर लिख कर दे देगें तब एल. आर. एस. ए. के नेता इस बारे में वर्किंग कमेटी से सलाह लेंगे.

लोको रनिंग स्टाफ का आंदोलन

अनारा (एस. ई. आर.) के लोको कर्म-चारियों ने 'जो पहले आए पहले जाए' की पद्धति को जिसके आदेश अगस्त 1978 में जारी किए गये थे, लागू कर-वाने के लिए 36 घन्टे के लिए काम बन्द रखा. अधिकारी इस मांग को मानने के लिए तभी तैयार हुए जब उनकी लोको कर्मचारियों की इस मुद्दे पर एकता को भंग करने की कोशिशें नाकामयाब हो गईं. लोको कर्मचारियों ने समझौते को जल्दी लागू कराने की मांग करते हुए एस. ई. आर. के जनरल मैनेजर के सामने 6 अगस्त को एक भारी प्रदर्शन किया.

नागपुर डिवीजन (एस. ई. आर.) के अधिकारियों ने डिवीजन सेक्रेटरी को गिरफ्तार कराकर, लोको कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर किया था.

कोयले और राख मजदूरों का संघर्ष

झांझा (ई. रे.) के कोयला और राख ढोने वाले मजदूरों की एकजुट ताकत को तोड़ने में नाकामयाब होने पर ठेकेदार ने पुलिस के साथ सांठगांठ कर अगुवा कार्य-कर्त्ताओं को गुंडा एक्ट के नाम से कहे जाने वाले कानून के तहत गिरफ्तार करवा दिया. अगर इन नेताओं को रिहा करवाने तथा वापस काम पर लेने के अन्य कदम नाकामयाब हो जाते हैं तो मजदूरों में इस कार्यवाही के कारण फैला आक्रोश निकट भविष्य में क्षेत्रीय हड़ताल में बदल सकता है.

ए. आई. आर. एफ. के अध्यक्ष प्रिय गुप्ता नहीं रहे

आल इंडिया रेलवेमेंज फेडरेशन के अध्यक्ष कामरेड प्रिय गुप्ता का 12 अगस्त को डिब्रूगढ़ में देहांत हो गया. अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्हें जनरल मैनेजर के एक मनमाने आदेश द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया था. जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसी दौरान वे लोकसभा के सदस्य चुने गए. एन. सी. सी. आर. एस. एक्शन कमेटी के सदस्य समर मुखर्जी और नृसिंह चक्रवर्ती, ए. आई. आर. एफ. के दफ्तर में हुई 13 अगस्त को आयोजित शोक सभा में शामिल हुए और उनकी याद में श्रद्धांजली अर्पित की.

नंदयाल लोको शेड एस. सी. रेलवे के कोयले और राख ढोने वाले मजदूर अपनी छंटनी के खिलाफ संघर्षरत हैं. अधिकारियों ने आर. एल. टी. 69 के अवार्ड को तोड़ते हुए उनके स्थान पर केजुअल लेबर को काम पर लगा लिया है. एस. सी. रेलवे एंप्लाईज यूनियन ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है.

पश्चिम बंगाल.....

[पृष्ठ ग्यारह से आगे]

गोदी कर्मचारियों की हड़ताल के बाद जीत

गोदी मजदूरों द्वारा इंसेटिव टनेज स्कीम, स्कीम के तहत बकाया, गेंग की संख्या में वृद्धि आदि की मांगों के समर्थन और पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमेन के मिलने से इंकार करने के विरोध में 13 अगस्त से अनिश्चित-कालीन हड़ताल पर जाने से कलकत्ता पोर्ट में कामकाज बिल्कुल अस्तव्यस्त हो गया.

इन मांगों को लेकर गोदी मजदूर एक अर्से से आंदोलन करते आ रहे थे, हालांकि डाक (गोदी) लेबर बोर्ड ने इन मांगों को मान लिया था किंतु केंद्रीय सरकार ने इन मांगों को मानने से इंकार कर दिया था और पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमेन को इन मांगों को लागू न करने का निर्देश दिया. इसके विरोध में गोदी मजदूरों ने 13 अगस्त को सुबह की शिफ्ट में सांकेतिक हड़ताल की और एक जन-समूह में पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमेन से मिलने गए. जब चेयरमेन ने मिलने से इंकार किया तब उसी दिन की दूसरी शिफ्ट से मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए. हड़ताल का नेतृत्व डाक श्रमिक एसोसिएशन (सीटू) और अन्य यूनियनों ने संयुक्त रूप से किया.

राज्य श्रम सचिव के प्रयास से 18 अगस्त को हुए त्रिपक्षीय समझौते के बाद हड़ताल वापस ले ली गई. समझौते के अनुसार डाक लेबर बोर्ड मजदूरों की संशोधित इंसेटिव स्कीम पर विचार करने के लिए इस महीने के अंत में मिलेगा और इसकी शीघ्र मंजूरी ले लेगा.

महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1979		
	अप्रै.	मई	जून
बिहार			
जमशेदपुर	329	331	336
झारिया	318	320	324
कोडर्मा	350	350	352
मोंघाइर	352	349	363
नोआमुंडी	325	327	333
गुजरात			
अहमदाबाद	328	331	335
भाव नगर	344	345	352
हरियाणा			
यमुना नगर	365	362	365
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	348	347	347
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	359	356	367
भोपाल	337	336	345
ग्वालियर	352	352	354
इंदौर	361	362	365
महाराष्ट्र			
बंबई	331	335	344
नागपुर	332	333	339
शोलापुर	347	349	356
पंजाब			
अमृतसर	352	352	355
राजस्थान			
अजमेर	341	339	344
जयपुर	362	365	363
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	335	333	344
सहारनपुर	348	342	343
वाराणसी	387	379	392
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	348	354	357
कलकत्ता	331	335	346
दार्जीलिंग	279	280	286
हावड़ा	325	329	332
जलपाइगुरी	288	288	293
रानीगंज	333	336	339
दिल्ली	375	374	378
भारत	337	339	345

(लेबर ब्यूरो, शिमला)

सीटू द्वारा डिफेंस कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 2 अगस्त को निम्नलिखित बयान जारी किया है :

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज (सीटू) आल इंडिया डिफेंस एंप्लाईज फेडरेशन के आर्डिनेंस फैक्ट्रियों के ढाई लाख सिविल कर्मचारियों की 13 अगस्त को विरोध हड़ताल करने के आह्वान का तहे दिल से समर्थन करती है. इसके लिए पूरी जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार पर होगी जो पिछले तीन दशकों से प्रथम वेतन आयोग की इस सिफारिश को लागू करने से इंकार कर रही है कि "आर्डिनेंस फैक्ट्रियों के सिविल कर्मचारियों को भी रेलवे विभाग के समान श्रेणी के कर्मचारियों के समान ही वेतन मिलना चाहिए."

डिफेंस कर्मचारी तरक्की, बोनस, कैंटीन व छुट्टी की सुविधाएं और ट्रेड यूनियन अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

कांग्रेस सरकार ने इन जायज मांगों को मानने की बजाय मजदूरों के दमन का रास्ता अपनाया. जनता सरकार ने भी पिछले 2 सालों के दौरान उन्हीं नीतियों को अपनाया.

सीटू केंद्र में नई सरकार से यह मांग करती है कि वह ए. आई. डी. ई. एफ. के नेताओं से तुरंत बातचीत करे ताकि डिफेंस कर्मचारियों की मांगें बिना किसी देरी के तय हो सकें लंबे अर्से से चले आ रहे मुद्दों को तय करने से सरकार द्वारा इंकार किये जाने पर सीटू डिफेंस कर्मचारियों से हड़ताल पर जाने और एकता बनाये रखने की अपील करती है.

सीटू सभी ट्रेड यूनियनों से, चाहे वे किसी से भी संबंधित क्यों न हों जायज मांगों के लिए संघर्षरत डिफेंस मजदूरों को अपनी जायज मांगें जीतने के लिए पूरा समर्थन देने की अपील करती है.

सीटू की मांग : लंदन में एयर इंडिया के कर्मचारियों की शिकायतों पर समझौता करो

सीटू के अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 18 अगस्त को निम्नलिखित बयान जारी किया :

सीटू लंदन में एयर इंडिया के संघर्षरत कर्मचारियों का खुले दिल से समर्थन करती है जो इंगलैंड में ट्रांसपोर्ट एंड जनरल वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में 16 अगस्त से हड़ताल पर हैं.

समझौता वार्ता एयर इंडिया द्वारा ब्रिटिश एयरवेज के कर्मचारियों के समान वेतन देने को 1 जनवरी 1979 से लागू करने से पहले उत्पादकता की शर्त थोपने पर जोर डालने के कारण फेल हो गई.

एयर इंडिया के प्रबंधकों ने संघर्ष के दौरान 47 कर्मचारियों की नौकरी इस बहाने से खत्म कर दी हैं कि उनका रिकार्ड संतोषजनक नहीं था. सीटू मांग करती है कि समझौता वार्ता को जल्द चालू करने के लिए इन कर्मचारियों को काम पर तुरंत वापस लिया जाए.

सीटू केंद्रीय टूरिज्म और सिविल एविएशन मंत्रालय से ऊंचा व प्रतिष्ठावान रवैया छोड़ एयर इंडिया के प्रबंधकों पर मजदूरों की जायज मांगें मान लेने के लिए दबाव डालने का आग्रह करती है. मजदूरों की मांगों के प्रति अड़ियल रवैये के कारण कंपनी को पहले ही काफी नुक्सान हो चुका है.

सीटू सभी ट्रेड यूनियनों से इंगलैंड में एयर इंडिया के कर्मचारियों को उनके हड़ताली संघर्ष के दौरान पूरा समर्थन देने का आग्रह करती है.

सीटू मजदूर

सी आई टी यू का मासिक मुखपत्र

एक प्रति की दर पचास पैसे

वार्षिक चंदा छः रुपये

एजेंसी के लिए कम से कम पांच प्रतियां

मिलने का पता

सीटू कार्यालय
6, तालकटोरा रोड,
नई दिल्ली-110001

उत्तर प्रदेश

कानपुर में 20,000 मजदूरों की सफल हड़ताल

24 जुलाई को कानपुर के 20,000 इंजीनियरिंग मजदूरों ने ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर ऐतिहासिक सफल सांकेतिक हड़ताल की. हड़ताल का फैसला सीटू, एटक, यू.टी.यू.सी., एच.एम.एस. और कुछ अन्य स्वतंत्र यूनियनों के संयुक्त मोर्चे ने किया था. बाद में हड़ताल निश्चित होना जानकर बी. एम. एस. ने भी हड़ताल का समर्थन किया.

मजदूरों के 16-सूत्री मांग पत्र में अकुशल मजदूरों के लिए एक जनवरी से 500 रुपये के न्यूनतम वेतन की मांग की गई थी. इसके अलावा एक रुपया 50 पैसे की दर से महंगाई भत्ता, सालाना तरक्की, मजदूरों की श्रेणी विभाजन, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने, मकान किराया भत्ता, सवेतन छुट्टी आदि की मांगें शामिल थीं. इस समय इंजीनियरिंग मजदूरों का कुल न्यूनतम वेतन केवल 195 रुपये25 पैसे है. जिन यूनिटों में 50 से कम मजदूर काम करते हैं उनमें तो मजदूरों की हालत और भी खराब है. इन मजदूरों का न्यूनतम वेतन कुल 160 रुपये है.

हड़ताल की तैयारी के लिए 21 जुलाई को श्रमायुक्त के दफ्तर पर प्रदर्शन किया गया था. हड़ताल तोड़ने के लिए प्रशासन ने पहले से ही दफा 144 लगा दी थी. लेकिन मजदूरों ने इसकी परवाह किए बिना हड़ताल को सफल बनाया. नगर के एक औद्योगिक क्षेत्र में हड़ताली मजदूरों पर लाठी चार्ज किया गया और सीटू के राज्य नेताओं सहित आठ कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया. इन गिरफ्तारियों के खिलाफ थाना फजलगंज पर भारी प्रदर्शन किया गया जिसके बाद गिरफ्तार किए गए साथियों को जमानत पर छोड़ दिया गया.

लखनऊ में मजदूर नेताओं पर कातिलाना हमले

सीटू के आह्वान पर लखनऊ में दलाल यूनियनों द्वारा मिल-मालिकों से नापाक समझौता करने के विरुद्ध 27 जून को सफल सांकेतिक हड़ताल से बौखला कर लखनऊ के कारखाना मालिकों ने पुलिस से साठ-गांठ कर अपने पालतू गुण्डों द्वारा मजदूरों के बीच दहशत फैलाने के लिए शारीरिक हमलों की मुहिम चला रखी है. 15जुलाई को श्री विक्रम काटन मिल लखनऊ के प्रबंधकों ने पुलिस से सांठ-गांठकर अपने पालतू गुण्डों द्वारा सीटू से संबंधित यूनियन श्री विक्रम काटन मिल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के. पी. सिंह पर कातिलाना हमला करवाया गया. क्षेत्रीय पुलिस को शिकायत करने पर गुण्डों के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय पुलिस के. पी. सिंह को गिरफ्तार कर ले गई. जिसके विरोध में मजदूरों ने यूनियन के मंत्री इब्राहिम सिद्दीकी के नेतृत्व में जिला न्यायाधीश के बंगले पर जोरदार प्रदर्शन किया. और एक ज्ञापन दिया जिसमें के. पी. सिंह की तुरंत रिहाई के साथ-साथ गुण्डों की गिरफ्तारी व क्षेत्रीय पुलिस के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की गई.

इसके अगले दिन ही इब्राहिम सिद्दीकी की दुकान पर गुण्डों द्वारा हमला किया गया और 17 जुलाई को दो मजदूर कार्यकर्त्ताओं पर हमला किया गया. हमलों का यह सिलसिला लगातार जारी है. मजदूर कानपुर के सूती मिलों के मजदूरों के बराबर वेतन की मांग लेकर संघर्ष कर रहे हैं.

ट्रेड यूनियन-फोरम लखनऊ के नेताओं ने मजदूरों पर किये जा रहे हमलों की कड़ी निंदा की है और एक ज्ञापन शहर के एस. पी. महोदय को दिया है. सीटू की उ० प्र० राज्य कमेटी के महासचिव दौलतराम ने एक बयान में के. पी. सिंह पर हुए एक कातिलाना हमले और पुलिस के गुण्डा-परस्त रवैये की कड़ी निन्दा की है.

ट्रेड यूनियनों की संयुक्त बैठक

लखनऊ, 5 अगस्त : अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशनों की उत्तर प्रदेश शाखाओं की 5 अगस्त को हरीश तिवारी की अध्यक्षता में एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई. इसमें सीटू, एटक, इंटक और एच. एम. एस. ने भाग लिया. सीटू का प्रतिनिधित्व दौलतराम व रवि सिन्हा ने किया.

बैठक में दिल्ली के कपड़ा उद्योग, टाइम्स आफ इंडिया, सिटेक्स ट्यूब वर्क्स व नेशनल हेरल्ड के श्रमिकों के आंदोलन का समर्थन किया गया. रिजर्व बैंक कर्मचारियों के आंदोलन को कुचलने वाले अध्यादेश की कड़े शब्दों में निंदा की गई तथा इसे तुरंत वापस लेने की मांग की गई.

ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमले, औद्योगिक संबंध विधेयक, अनिवार्य जमा योजना की किस्त अदायगी पर रोक, महंगाई के आंकड़ों में धांधली, हड़तालों पर रोक लगाने वाले अध्यादेशों आदि के विरुद्ध तथा निकाले गये कर्मचारियों को फिर से काम पर लेने और बोनस आदि के सवालों पर 29, 30 सितंबर को लखनऊ में एक संयुक्त ट्रेड यूनियन सम्मेलन बुलाने का भी फैसला किया गया है. इस बैठक में, एल. आई. सी., रेलवे, डाक-तार, रोडवेज, राज्य कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, अध्यापक तथा राज्य कार्पोरेशन कर्मचारी भाग लेंगे.

बैठक में सुरक्षा कर्मचारियों की 13 अगस्त की और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की 14 सितंबर को होने वाली हड़ताल का भी पूरा समर्थन किया गया है. बैठक में, उत्तर प्रदेश सरकार तथा बिजली बोर्ड द्वारा बिजली कर्मचारियों के साथ किए गए समझौते को लागू करने की, रेलवे मजदूरों सहित अन्य सभी मजदूरों को 8.33% न्यूनतम बोनस देने और बोनस की अधिकतम सीमा 20% से पाबंदी हटाने की भी मांग की गई है.

बिहार

कार्ड बोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों की हड़ताल

गोमिया (गिरडीह) में कार्डबोर्ड फैक्ट्री के मजदूर पिछले तीन महीनों से वेतन बढ़ोतरी और अन्य मांगों के लिए लगातार हड़ताल पर हैं. मजदूरों को आतंकित करने के लिए मालिकान ने फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी है. फिर भी मजदूर संघर्ष पर डटे हैं. स्थानीय मजदूर संगठन मजदूरों का साथ दे रहें हैं. बिहार राज्य श्रम विभाग पर इस संघर्ष का अभी तक कोई असर नहीं हुआ है.

सीटू की बिहार राज्य कमेटी ने बिहार राज्य श्रम विभाग के रवैये की कड़ी आलोचना की है और मांग की है कि श्रम आयुक्त मजदूरों की मांगें मानने के लिये मालिकान को मजबूर करे.

रांची के सिनेमा कर्मचारियों का संघर्ष

आकाश छूती महंगाई से पैदा होने वाली आर्थिक कठिनाइयों के कारण रांची सिनेमा एंप्लाईज यूनियन ने 23 जुलाई को रांची सिनेमा मालिकों/प्रबंधकों को अपनी मांगों पर एक 12-सूत्री मांग पत्र दिया. इस मांग-पत्र में अन्य मांगों के अलावा जरूरत पर आधारित नए वेतनमान दिए जाने, जैसे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, ग्रेच्युटी ऐक्ट (1972) को लागू किए जाने, जिन सिनेमा हालों में कर्मचारियों को सर्विस कार्ड नहीं मिला है उन्हें जल्द से जल्द सर्विस कार्ड दिए जाने, शहर में बढ़ती महंगाई के अनुरूप महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाने, शहर में बढ़ती गुण्डागर्दी को देखते हुए सिनेमा कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था की जाने आदि की मांगें शामिल है.

यूनियन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर एक महीने के अन्दर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे शांतिपूर्ण आन्दोलन चालू करेंगे और अंतिम रूप में हड़ताल पर जाने में स्वतन्त्र होंगे.

महाराष्ट्र

मजदूरों पर पुलिस दमन की निंदा

पिंपरी चिंचवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों और ट्रेड यूनियन नेताओं के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस की 30 जुलाई की कार्यवाही पूरी तरह से मजदूर विरोधी थी. इस क्षेत्र के मजदूर बजाज आटो के मजदूरों पर 17 जून को की गई गोलीबारी, जिसमें तीन मजदूर मारे गए थे और कई घायल हुए थे, के खिलाफ विरोध जाहिर करने के लिए हड़ताल पर थे. उस दिन मजदूर यह मांग कर रहे थे कि ले-आफ को क्षतिपूर्ति पाने के लिए मजदूरों को हर रोज हाजिर होने के लिए मजबूर न किया जाए, खास तौर से इसलिए क्योंकि उद्योग में जून में बिजली काटने के कारण सरकार द्वारा आम बंद का आदेश दिया गया था.

ट्रेड यूनियनें यह समझ रही थीं कि सरकार बजाज आटो के खिलाफ कार्यवाही करेगी लेकिन इसके विपरीत पुलिस ने 1000 मजदूरों और महाराष्ट्र सीटू के उपाध्यक्ष प्रभाकर मांकड़ सहित कई नेताओं को, जो सरकार की मजदूर विरोधी-नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, गिरफ्तार कर लिया.

महाराष्ट्र सीटू के सचिव पी. आर. कृष्णन ने एक अगस्त को जारी किए गए एक बयान में महाराष्ट्र सरकार की उसकी मजदूर विरोधी नीतियों की सख्त निंदा की है और गिरफ्तार साथियों के तुरंत रिहा किए जाने तथा 17 जून को पुलिस की गोली से मारे गए मजदूरों के शोकग्रस्त परिवारों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है.

मध्य प्रदेश

सूती वस्त्रोद्योग में नया वेतन समझौता

सूती वस्त्रोद्योग में कार्यरत श्रमिकों की वेतन वृद्धि को लेकर मध्य प्रदेश के सूती मिल मालिकान तथा मजदूर नुमाइंदों के बीच 16 जून को एक समझौता हुआ जो एक जनवरी से लागू माना जाएगा.

समझौते के अनुसार श्रमिकों को 45 रुपये मासिक तदर्थ वेतन वेतन वृद्धि दी गई है. इस वृद्धि पर बंबई के अनुसार महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा. लेकिन इस पर प्राविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, अवकाश, ई. एस. आई., बोनस आदि लाभ दिये जायेंगे. इसके अलावा, एक जनवरी 1980 से मजदूरों को छः रुपये की वार्षिक वृद्धि दी जाएगी, जिस पर वह सारे लाभ दिए जाएंगें जो 45 रुपए की वृद्धि पर देने स्वीकार किए गए हैं.

वेतन व उत्पादकता में संतुलन के लिए श्रम आयुक्त द्वारा त्रिपक्षीय कमेटी या उप कमेटियां बनाई जाना भी तय हुआ है.

ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता को आठ जिलों से बाहर निकलने का आदेश

बिलासपुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने 7 अगस्त को कोयला श्रमिक संघ बांकी सुराकछार, म. प्र., के सचिव नन्दलाल को बिलासपुर, सहदोल, दुर्ग, राजनन्द गांव, रायपुर, सरगूजा, रायगढ़ और मांडला के आठ जिलों से बाहर निकल जाने का आदेश दिया है. नन्दलाल को 48 घंटे के अंदर इन क्षेत्रों से निकल जाने का आदेश दिया गया था. उन्होंने इस आदेश को मानने से इंकार कर दिया. पुलिस ने उनको 10 अगस्त को गिरफ्तार करके कटनी ले जाकर छोड़ दिया.

सक्रिय ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं पर इस तरह की कार्यवाहियां बढ़ती जा रही हैं तथा इसके उद्देश्य सक्रिय ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं को मजदूरों के आंदोलनों में भाग लेने से रोकना है.

Regd. No. D (C) 833

हरियाणा

अदालती जांच की मांग

सीटू की सोनीपत जिला कमेटी (हरियाणा) के महासचिव एस. एन. सोलंकी द्वारा डिप्टी कमिश्नर सोनीपत, को 20 जुलाई को दिए गए एक ज्ञापन में बहालगढ़ में 11 फरवरी, 78 को कामरेड शहीद शिवचरण शर्मा के कातिल मैसर्ज हरियाणा रंग उद्योग तथा इडको डाइज एण्ड केमिकल बहालगढ़ के मालिकों व उनके गुंडों को गिरफ्तार करने तथा अन्य निलम्बित श्रमिकों की बहाली और पूरे मामले की अदालती जांच की मांग की है.

इसके अलावा ज्ञापन में सोनीपत में लेबर कालोनी बनाने, कारखानों में सिक्योरिटी गार्ड की आड़ में गुंडों की भर्ती समाप्त करने, सभी उद्योगों में न्यूनतम वेतन 400 रुपये महीना करने, शत प्रतिशत महंगाई भत्ता, 20 प्रतिशत मकान किराया भत्ता, कारखानों में ले-आफ छंटनी की प्रथा खत्म करने, महंगाई पर रोक लगाने, रिजर्व बैंक आर्डिनेन्स तथा सी. डी. एस. संबंधी आर्डिनेन्स वापिस लेने और औद्योगिक संबंध विधेयक वापस लेने की मांगें शामिल हैं.

आसाम

महिला कामगार की असामयिक मृत्यु

आसाम में कृष्णकली टी एस्टेट की इस चाय बागान में किसी अस्पताल के न होने की वजह से समय पर चिकित्सा सहायता न मिलने के कारण असामयिक मृत्यु हो गई. आसाम के चाय बागानों के प्रबंधकों द्वारा प्लांटेशन लेबर एक्ट और प्रसूति भत्ता कानून वगैरह को बेशर्मी से तोड़ना एक आम बात हो गई है.

आल आसाम नर्सिज एसोसिएशन की सचिव गीता ओझा ने अपने एक बयान में इस मामले की न्यायिक जांच और प्रबंधकों द्वारा शोकग्रस्त परिवार को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की है.

आल इंडिया प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन की सचिव विमल रणदिवे ने टी एस्टेट के मैनेजर को तार भेजकर शोकग्रस्त परिवार को मुआवजा देने और उस एस्टेट में प्लांटेशन लेबर एक्ट के अनुसार अस्पताल खोलने के लिए कहा है ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटना फिर से न हो सके.

50 से ज्यादा मजदूर मरे

आसाम में गरमपानी के नजदीक एन. ई. पी. सी. ओ. के कार्यस्थल पर एक भीषण दुर्घटना हुई जिससे 50 से भी ज्यादा मजदूर मारे गए. अधिकारियों ने मृत मजदूरों की संख्या के 50 से कम होने का दावा किया है लेकिन दुर्घटना के मुख्य कारणों के बारे में नहीं बताया है.

सीटू की आसाम राज्य कमेटी ने एक बयान में कहा है कि यह दुर्घटना अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है और बचाव के लिए यदि पहले से ही सावधानियों का इंतजाम किया होता तो गरीब मजदूरों के जीवन को बचाया जा सकता था. कमेटी ने दुर्घटना की न्यायायिक जांच और मृत मजदूरों के शोकग्रस्त परिवारों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति देने की मांग की.

राजस्थान

आदित्य मिल मजदूरों की हड़ताल समाप्त

2 अगस्त को एक सम्मानजनक समझौते के बाद आदित्य मिल्स (किशनगढ़ राजस्थान) में एक महीने से भी ज्यादा समय से चल रही हड़ताल वापस ले ली गई है. किशनगढ़ मिल राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (सीटू) की एक विज्ञप्ति के अनुसार निकाले गए दो मजदूरों की नौकरी बहाल कर दी गई है. 1975 और 1978 के बोनस का फैसला 30 अगस्त तक कर दिया जाएगा. प्रबंधकों ने एडवांस देना भी स्वीकारा है.

जी. आई. सी. कर्मचारियों की हड़ताल

आल इंडिया इंश्योरेंस एंप्लाईज एसोसिएशन और जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन में कार्यरत अन्य तीन यूनियनों के आह्वान पर जी. आई. सी. के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने 9 अगस्त को दफ्तरों से पूर्ण रूप से सफल वाक-आउट हड़ताल की. यह वाक आउट हड़ताल जी. आई. सी. प्रबंधकों द्वारा वेतन में वृद्धि और सेवा शर्तों के संबंध में दो साल पहले दिए गए मांगपत्र पर समझौता वार्ता चालू करने में लगातार देरी करने के विरोध में की गई.

दक्षिण जोन के जनरल इंश्योरेंस एंम्लाईज एसोसिएशन के महासचिव ने अपने बयान में कहा कि बंगलौर में 19-20 जुलाई को हुए सार्वजनिक क्षेत्र के ट्रेड यूनियनों के सम्मेलन के निर्णय के अनुसार जनरल इंश्योरेंस के कर्मचारी सारे देश में 14 सितम्बर को होने वाली हड़ताल में हिस्सा लेंगे.

म्युनिसिपल वर्कर्स...

[पृष्ठ चार से आगे]

लेबर कमिश्नर से मिली परन्तु प्राधिकारियों के अड़ियल रवैये के कारण समझौता वार्ता फेल हो गई.

20 अगस्त को पुलिस धरने के स्थान से शामियाने और दरियां उठाकर ले गई तथा बहुत सारे मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया. मजदूर अभी भी जलती दोपहरी की परवाह किये बिना म्युनिसिपल कार्पोरेशन के दफ्तर और टाउन हाल के पास धरने पर बैठे हैं.

संपादक मंडल
बी टी रणदिवे (अध्यक्ष)
पी राममूर्ति मनोरंजन राय
निरेन घोष सुधिन कुमार
एम के पंधे (संपादक)

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, 1,लारेंस रोड, रामपुरा, नई दिल्ली-110035 से मुद्रित (फोन : 384071)